FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0095 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 22/05/2024 16:31 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** बुधवार **Date From (दिनांक से):** 25/10/2023 **Date To (दिनांक तक):** 25/10/2023
   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 12:00 बजे **Time To (समय तक):** 15:01 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 22/05/2024 **Time (समय):** 15:30 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 22/05/2024 16:31:48 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित
5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-WEST, 40 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b)**Address(पता):** D.F.O. FOREST DEPARTMENT, SARISKA DISTRCK ALWAR

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** SAVANT SINGH

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** KHYALI RAM

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1987 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	VILLAGE NATHUSER, BANSUR, खैरथल-तिजारा, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	VILLAGE NATHUSER, BANSUR, खैरथल-तिजारा, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-8432559418

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	DEVI PRASAD SHARMA		पिता:BHAGWAN SHAY SHARMA	1. THANAGAJI,THANAGAJI,ALWA
2	RATAN SINGH		पिता:RAM LAL GUJAR	1. VILLAGE NATHUSAR POST RAMPUR,BANSUR,कोटपूतली-बहरोड़,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	3 लाख रूपये रिश्वत की	5,000.00

1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	मांग कर 5,000/–रूपये लेना	5,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):** 5,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):**

वाक्यात इस प्रकार है कि दिनांक 25.10.2023 को समय 12.00 पी0एम0 पर कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर प्रथम, अलवर पर श्री प्रेम चन्द, पुलिस निरीक्षक के सम्मुख परिवादी श्री सावंत सिंह पुत्र श्री ख्याली राम, जाति गुर्जर, उम्र 37 साल, निवासी नाथूसर, तहसील बानसूर, जिला कोटपूतली-बहरोड मय अपने साथी श्री कृष्णलाल पुत्र श्री छाजूराम, जाति गुर्जर, उम्र 37 साल, निवासी नाथूसर, तहसील बानसूर, जिला कोटपूतली-बहरोड के उपस्थित होकर परिवादी श्री सावंत सिंह ने श्री प्रेम चन्द, पुलिस निरीक्षक को एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आषय का पेश किया कि “ सेवामें श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ।ण्ब्ण्ठण् अलवर विषयः- वन विभाग सरिस्का के भ्रष्ट बाबू श्री देवी सहाय व उप सरपंच ग्राम पंचायत नाथूसर श्री रतन सिंह गुर्जर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकडवाने बाबत। महोदय, निवेदन है कि मैं सावंत सिंह पुत्र श्री ख्याली राम ग्राम नाथूसर तह. बानसूर जिला कोटपूतली-बहरोड का रहने वाला हॅू सरिस्का बाघ परियोजना से हमारे गांव नाथूसर को तिजारा के पास विस्थापित किया जा रहा है। वन विभाग से विस्थापन पर विस्थापित परिवारो को मिलने वाला मुआवजा पैकेज दिलवाने के लिए वन विभाग सरिस्का में कार्यरत श्री देवी सहाय बाबू एवं श्री रतन सिंह, उप सरपंच ग्राम पंचायत कल्याणपुरा मेरे से मेरे विस्थापन मुआवजा पैकेज की फाईल तैयार करने एवं मुआवजा पैकेज दिलवाने की एवज में 3 लाख रू. रिश्वत की माँग कर रहे है। मैं वन विभाग सरिस्का के बाबू श्री देवी सहाय को व उप सरपंच ग्राम पंचायत कल्याणपुरा श्री रतन सिंह गुर्जर को मेरे जायज काम की एवज में रिश्वत नही देना चाहता हू तथा दोनो को मेरे से रिश्वत लेते हुए रगें हाथ पकडवाना चाहता हू कृपया कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे।“ परिवादी श्री सावंत सिंह द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र पर अग्रिम कार्यवाही करते हुये श्री प्रेम चन्द, पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री सावंत सिंह से दरियाफ्त की गई तो उक्त लिखित प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुये परिवादी श्री सावंत सिंह ने बताया कि सरिस्का बाघ परियोजना से हमारे गॉव नाथूसर को तिजारा के पास विस्थापित किया जा रहा है तथा सरिस्का बाघ परियोजना से विस्थापन की एवज में वन विभाग द्वारा विस्थापित परिवारों को मुआवजा दिया जा रहा है, वन विभाग द्वारा मुआवजा में पैसे व जमीन दी जा रही है। वन विभाग सरिस्का में कार्यरत श्री देवी प्रसाद शर्मा, तकनिशियन-द्वितीय(प्रभारी विस्थापन शाखा) एवं श्री रतन सिंह, उप सरपंच ग्राम पंचायत कल्याणपुरा (अध्यक्ष विस्थापन समिति ग्राम नाथूसर) मेरे से, मेरे को वन विभाग से मिलने वाला विस्थापन मुआवजा पैकेज की फाईल तैयार करने एवं मुआवजा पैकेज दिलवाने की एवज में 3 लाख रू0 रिश्वत की माँग कर रहे है। मैं, वन विभाग सरिस्का के तकनिशियन-द्वितीय (प्रभारी विस्थापन शाखा) श्री देवी प्रसाद शर्मा को व उप सरपंच ग्राम पंचायत कल्याणपुरा रतन सिंह को मेरे जायज काम की एवज में रिश्वत नही देना चाहता हॅू तथा दोनों को मेरे से रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ पकडवाना चाहता हॅू। कृपया कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। पूछताछ के दौरान परिवादी श्री सावंत सिंह ने बताया कि मेरी व मेरे साथी श्री कृष्ण लाल की, श्री देवी प्रसाद शर्मा, तकनिशियन-द्वितीय(प्रभारी विस्थापन शाखा), वन विभाग, सरिस्का से एवं श्री रतन सिंह, उप सरपंच ग्राम पंचायत कल्याणपुरा, पंचायत समिति बानसूर (अध्यक्ष विस्थापन समिति ग्राम नाथूसर) से कोई उधार लेन-देन बकाया नही है और ना ही कोई रंजिश है। परिवादी ने प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा लिखा जाना तथा प्रार्थना पत्र पर स्वयं के हस्ताक्षर होना तथा प्रार्थना पत्र में लिखे हुये तथ्य सही होना बताया तथा समस्त कार्यवाही में अपने साथी श्री कृष्ण लाल को अपने साथ रहने के लिये बताया। तत्पश्चात परिवादी श्री सावंत सिंह के साथी श्री कृष्ण लाल गुर्जर को परिवादी का प्रार्थना पत्र पढवाया जाकर उक्त प्रार्थना पत्र पर श्री कृष्ण लाल के भी हस्ताक्षर करवाये गये तथा दौराने पूछताछ परिवादी श्री सावंत सिंह एवं श्री कृष्ण लाल ने अपनी-अपनी पहचान स्वरूप अपने आधार कार्डो की छायाप्रतियों पर स्वयं के हस्ताक्षर कर एवं श्री सावंत सिंह ने अपने राशनकार्ड, पैनकार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रतियों पर अपने स्वयं के हस्ताक्षर कर प्रस्तुत किये, जिनको संलग्न पत्रावली किया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थना पत्र एवं की गई मजीद पूछताछ से मामला रिश्वत के लेन-देन का पाया जाने पर श्री प्रेम चन्द, पुलिस निरीक्षक ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पीयूष दीक्षित को जरिये दूरभाष प्रकरण के तथ्यों से अवगत कराकर अग्रिम कानूनी कार्यवाही के निर्देष प्राप्त कर दिनांक 25.10.2023 को समय 12.50 पी0एम0 पर कार्यालय की आलमारी से विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकालकर उक्त डिजिटल वाईस

रिकार्डर में नया एस.डी. मैमोरी कार्ड SanDisk 32 GB लगाकर डिजिटल वाईस रिकार्डर परिवादी श्री सावंत सिंह को चलाने व बन्द करने की विधि समझाकर परिवादी व परिवादी के साथी श्री कृष्ण लाल के समक्ष श्री महेश कुमार कानि0 462 को सुपुर्द किया जाकर परिवादी श्री सावंत सिंह को हिदायत दी गई कि वह श्री देवी प्रसाद शर्मा, तकनिशियन-द्वितीय (प्रभारी विस्थापन शाखा) वन विभाग सरिस्का, अलवर एवं श्री रतन सिंह, गुर्जर, उप सरपंच, ग्राम पंचायत कल्याणपुरा, पंचायत समिति बानसूर(अध्यक्ष विस्थापन समिति ग्राम नाथूसर) से अपने बाघ परियोजना सरिस्का से विस्थापन मुआवजा पैकेज की फाईल तैयार करने एवं मुआवजा दिलवाने की एवज में उक्त द्वारा रिश्वत माँग किये जाने के सम्बन्ध में वार्ता करे तथा संदिग्ध आरोपीगण से हुई वार्ता को ब्यूरों के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर श्री प्रेम चन्द, पुलिस निरीक्षक को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्रस्तुत करें। परिवादी श्री सावंत सिंह एवं परिवादी के साथी श्री कृष्णलाल के साथ ब्यूरों के श्री महेश कुमार कानि0 को जाने के निर्देष देकर श्री महेश कुमार कानि0 462 को हिदायत दी गई की वह रिश्वत माँग सत्यापन हेतु परिवादी श्री सावंत सिंह को ब्यूरों का डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू कर सुपुर्द करे तथा परिवादीगण के साथ आस-पास रहकर परिवादीगण व संदिग्ध आरोपीगण को आपस में वार्ता करते हुये देखे तथा संभव हो तो उक्त के मध्य हुई वार्ता को सुनने का प्रयास करे। तत्पश्चात परिवादी श्री सावंत सिंह, परिवादी के साथी श्री कृष्ण लाल व श्री महेश कुमार कानि0 को रिश्वत माँग सत्यापन हेतु संदिग्ध आरोपी श्री देवी सहाय, बाबू वन विभाग सरिस्का के पास जाने हेतु परिवादी श्री सावंत सिंह की गाडी से रवाना किया गया। तत्पश्चात दिनांक 25.10.2023 को समय 04.30 पी0एम0 पर रिश्वत माँग सत्यापन हेतु परिवादी श्री सावंत सिंह एवं परिवादी के साथी श्री कृष्ण लाल के हमराह गया हुआ श्री महेश कुमार कानि0 462 मय परिवादी श्री सावंत सिंह एवं परिवादी के साथी कृष्णलाल के ब्यूरों कार्यालय में श्री प्रेम चन्द, पुलिस निरीक्षक के समक्ष उपस्थित आये तथा श्री महेश कुमार कानि0 462 ने रिश्वत माँग सत्यापन की वार्ताओं का रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर श्री प्रेम चन्द, पुलिस निरीक्षक को प्रस्तुत किया। तत्पश्चात परिवादी श्री सावंत सिंह ने पुलिस निरीद्धाक को बताया कि आपके निर्देषानुसार मैं व मेरा साथी श्री कृष्ण लाल, आपके कर्मचारी श्री महेश कुमार के साथ ब्यूरों कार्यालय अलवर से रवाना होकर थानागाजी पहुंचे, जहाँ पर मैंने तहसील परिसर थानागाजी से मेरे नाम से 700 रू0 के स्टाम्प पेपर लेकर थानागाजी से रवाना होकर सरिस्का में स्थित वन विभाग के ऑफिस के पास पहुँचे, जहाँ पर ए0सी0बी0 के श्री महेश कुमार कानि0 ने ब्यूरों का डिजिटल वाईस रिकार्डर समय करीब 03.01 पी0एम0 पर चालू कर मुझे सुपुर्द किया, जिसको मैं अपने साथ लेकर मैं व मेरा साथी श्री कृष्ण लाल, वन विभाग सरिस्का के ऑफिस में प्रथम तल पर बने कमरे में श्री देवी प्रसाद शर्मा, तकनिशियन-द्वितीय(प्रभारी विस्थापन शाखा) के पास गये तथा आपका कर्मचारी श्री महेश कुमार वन विभाग के ऑफिस के पास बाहर रोड पर रूक गया था। श्री देवी प्रसाद शर्मा, तकनिशियन-द्वितीय(प्रभारी विस्थापन शाखा) हमें अपने कार्यालय कक्ष में एक महिला कर्मचारी के साथ ऑफिस का कार्य करता हुआ मौजूद मिला। श्री देवी प्रसाद शर्मा, तकनिशियन-द्वितीय(प्रभारी विस्थापन शाखा) ने, हमारे को उसके पास पहँचने पर महिला कर्मचारी को, अपने कार्यालय कक्ष से बाहर भेज दिया और मैंने व मेरे साथी कृष्ण लाल ने श्री देवी प्रसाद शर्मा, तकनिशियन-द्वितीय (प्रभारी विस्थापन शाखा) से मेरे विस्थापन के मुआवजा के सम्बन्ध में बातचीत की तो देवी प्रसाद शर्मा, तकनिशियन-द्वितीय (प्रभारी विस्थापन शाखा) ने कहा कि अब भी क्यां आया है आराम से रहता। मैंने कहा कि साहब मेरे से पैसे की व्यवस्था नही बैठ रही मेरे पास अभी एक लाख रू0 ही हो पाये हैं तथा रतन ने एक लाख रू0 आपको देने के लिए कहा है, तो देवी प्रसाद शर्मा, तकनिशियन-द्वितीय(प्रभारी विस्थापन शाखा) ने कहा कि ये बात तो रतन से कर लेता और ये (एक लाख रू0) उसे (रतन सिंह को) ही दे देना। इसके बाद मेरे साथी कृष्ण लाल ने भी देवी प्रसाद शर्मा, तकनिशियन-द्वितीय(प्रभारी विस्थापन शाखा) से कहा कि रतन ने एक लाख रू0 आपको देने के लिये कहा है और दो लाख रू0 कल तक आ जायेगें, रतन को बता दिया है। देवी प्रसाद शर्मा, तकनिशियन-द्वितीय(प्रभारी विस्थापन शाखा) ने कहा कि सारे पैसे रतन सरपंच को ही दे देना वह ले आयेगा मेरे पास और उसने मेरे से मेरे कागजात(ओरिजिनल बैंक पासबुक, आधार कार्ड, राशन कार्ड व पैन कार्ड की फोटोकापी, एक फोटो) व मेरे नाम के स्टाम्प पेपर ले लिये और अपने पास रख लिये और कहा कि मुझे तो स्टाम्प के 5000 रू0 दे जाओं बाकी सारे पैसे रतन को ही दे देना। इस पर मैंने अपने पास से 500-500 रू0 के 10 नोट कुल 5000 रू0 कृष्ण लाल को दिये तथा कृष्ण लाल ने उक्त 5000 रू0 श्री देवी प्रसाद शर्मा, तकनिशियन-द्वितीय(प्रभारी विस्थापन शाखा) को दे दिये, जिनको देवी प्रसाद शर्मा, तकनिशियन-द्वितीय(प्रभारी विस्थापन शाखा) ने अपने जेब मे रख लिया और मैंने उनसे कहा कि साहब रतन से बात कर लेना आप एकबार तो उन्होने कहा की ठीक है, मेरी बात हो गई और मैं रतन से बात कर लूंगा। मेरे, मेरे साथी कृष्ण लाल व श्री देवी प्रसाद शर्मा, तकनिशियन-द्वितीय(प्रभारी विस्थापन शाखा), वन विभाग सरिस्का के मध्य रिश्वत माँग के क्रम में जो वार्ता हुई, उन सभी बातों को मैंने ए0सी0बी के उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया था। इसके बाद मैं व श्री कृष्ण लाल, श्री देवी प्रसाद शर्मा, तकनिशियन-द्वितीय(प्रभारी विस्थापन शाखा) के पास से आपके कर्मचारी श्री महेश कुमार कानि0 के पास समय करीब 03.15 पी0एम0 पर आया और अपने पास से ब्यूरों का डिजिटल वाईस रिकार्डर निकाल कर श्री महेश कुमार कानि0 को दे दिया था, जिसको महेश कुमार कानि0 ने बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया था और हम वहाँ से रवाना होकर आपके पास ब्यूरों कार्यालय आ गये। परिवादी के साथी श्री कृष्ण लाल ने भी परिवादी द्वारा बताये गये उपरोक्त समस्त तथ्यों की ताईद की तथा पूछने पर श्री महेश कुमार कानि0 ने भी

परिवादी द्वारा बताये गये उक्त कथनों की ताईद की। तत्पश्चात श्री प्रेम चन्द, पुलिस निरीक्षक ने श्री महेश कुमार कानि0 द्वारा सुपुर्द टेपरिकार्डर को चलाकर सुना तो उक्त वार्ता में संदिग्ध आरोपी श्री देवी प्रसाद शर्मा, तकनिशियन-द्वितीय (प्रभारी विस्थापन शाखा) द्वारा परिवादी श्री सावंत सिंह व परिवादी के साथी श्री कृष्ण लाल से तीन लाख रू0 रिश्वत के प्राप्त करने के लिये सहमत होना तथा परिवादीगण से 5000 रू0 स्टाम्प के नाम से रिश्वत माँग सत्यापन के समय प्राप्त करना एवं परिवादीगण को रिश्वत राशी के 3 लाख रू0 श्री रतन सिंह, उप सरपंच को देने के लिये कहना पाया गया तथा परिवादीगण द्वारा बताये गये कथनों की ताईद हुई। उपरोक्त तथ्यों के अनुसार संदिग्ध आरोपी श्री रतन सिंह उप सरपंच, ग्राम पंचायत, कल्याणपुरा, पंचायत समिति बानसूर(अध्यक्ष विस्थापन समिति ग्राम नाथूसर) से पृथक से रिश्वत माँग सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित किया गया। दिनांक 25.10.2023 को समय 05.39 पी0एम0 पर परिवादी श्री सावंत सिंह के मोबाईल नम्बर 8432559418 पर संदिग्ध आरोपी श्री रतन सिंह, उप सरपंच ग्राम पंचायत कल्याणपुरा(अध्यक्ष विस्थापन समिति ग्राम नाथूसर) के मोबाईल नम्बर 9079749046 से फोन आया, जिसके बारे में परिवादी श्री सावंत सिंह ने फोन रिसीव करने से पूर्व श्री प्रेम चन्द, पुलिस निरीक्षक को बताया कि मेरे मोबाईल पर श्री रतन सिंह, उप सरपंच ग्राम पंचायत कल्याणपुरा(अध्यक्ष विस्थापन समिति ग्राम नाथूसर) का फोन आ रहा है तथा परिवादी ने आरोपी का फोन रिसीव नही किया। तत्पश्चात श्री प्रेम चन्द, पुलिस निरीक्षक ने उसी समय 05.40 पी0एम0 पर ब्यूरों का डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू किया तथा इसी दौरान परिवादी के मोबाईन नं0 8432559418 पर संदिग्ध आरोपी श्री रतन सिंह, उप सरपंच ग्राम पंचायत कल्याणपुरा(अध्यक्ष विस्थापन समिति ग्राम नाथूसर) के मोबाईल नम्बर 9079749046 से पुनः फोन आया, जिसको परिवादी श्री सावंत सिंह से रिसीव करवाकर संदिग्ध आरोपी श्री रतन सिंह से वार्ता करवाई गई तो संदिग्ध आरोपी श्री रतन सिंह ने परिवादी श्री सावंत सिंह से कहा कि आपने फोन नही किया मेरे को पण्डित जी (देवी प्रसाद शर्मा, तकनिशियन-द्वितीय) ने बताया कि आप वहाँ पर (देवी प्रसाद शर्मा,तकनिशियन-द्वितीय के पास) गये थे, वो कह रहा था कि आये थे मेरे पास। इस पर परिवादी ने रतन सिंह को बताया कि मैं व कृष्ण जी गये थे, तेरे, पण्डित (देवी प्रसाद शर्मा, तकनिशियन-द्वितीय) के पास और एक लाख रू0 दे रहे थे, उसको उसने 5000 रू0 तो ले लिये स्टाम्पों के और बाकी के पैसे तेरे को देने के लिये कहा है। मेरे पास पिच्चानवें हजार रू0 है, अभी वो आप ले लो आज, तो रतन सिंह ने परिवादी से कहा कि पण्डित जी(देवी प्रसाद शर्मा,तकनिशियन-द्वितीय) ने बता दिया है मुझे, जब ही मेरे को पता है, नही तो मुझे क्या पता। मैं अपने आप फोन कर लूँगा, आज और कल तो नही मिल पाउँगा बाहर रहुँगा, कल शाम को फोन कर लूँगा और पैसे ले लूँगा, आप किसी बात का टेन्शन मत करो, आपका सब काम हो जाएगा। उक्त मोबाईल वार्ता को परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन करवाकर ब्यूरों के डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया। संदिग्ध आरोपी श्री रतन सिंह, उप सरपंच एवं परिवादी श्री सावंत सिंह के मध्य हुई उपरोक्त मोबाईल वार्ताओं के तथ्यों से संदिग्ध आरोपी श्री देवी प्रसाद शर्मा, तकनिशियन-द्वितीय, वन विभाग सरिस्का, अलवर एवं श्री रतन सिंह, उप सरपंच ग्राम पंचायत कल्याणपुरा(अध्यक्ष विस्थापन समिति, ग्राम नाथूसर) द्वारा परिवादी से रिश्वत राशी की माँग करना एवं प्राप्त करने के लिये सहमत होना पाया गया है। परिवादी को हिदायत दी गई कि जब भी उसके, पास संदिग्ध आरोपी का फोन आये तो उससे वार्ता नही करे और अविलम्ब श्री प्रेम चन्द, पुलिस निरीक्षक को अवगत करावे तथा संदिग्ध आरोपीगण को दी जाने वाली रिश्वत राशी 3 लाख रू0 अपने साथ लेकर अविलम्ब ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित होवें। इसके बाद श्री प्रेम चन्द, पुलिस निरीक्षक द्वारा रिश्वत माँग सत्यापन की उक्त वार्ताओं के रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर को कार्यालय की आलमारी के लॉक में सुरक्षित रखा गया तथा परिवादी श्री सावंत सिंह व परिवादी के साथी श्री कृष्ण लाल को गोपनीयता की हिदायत कर उसी दिन समय 05.50 पी0एम0 पर ब्यूरों कार्यालय से रवाना किया गया। कार्यवाही के हालात ब्यूरों के उच्चाधिकारियों को अवगत करवाये जाकर मुनासिब रहबरी प्राप्त की गई। इसके बाद दिनांक 26.10.2023 को समय 04.40 पी0एम0 पर परिवादी श्री सावंत सिंह ने जरिये वॉटसअप कॉल वार्ताकर श्री प्रेम चन्द, पुलिस निरीक्षक को बताया कि अभी तक आरोपी श्री रतन सिंह, उप सरपंच का मेरे पास फोन नही आया है और मैंने पता किया तो श्री रतन सिंह, उप सरपंच का आज तिजारा जाना ज्ञात हुआ है और उसके आने का कोई पता नही है कि वह तिजारा से कब तक आयेगा। यदि मेरे पास श्री रतन सिंह उप सरपंच का अब फोन आयेगा तो मैं उसे मेरे बाहर होने के बारे में बता दूंगा और मैं कल दिनांक 27.10.2023 को रिश्वत राशी सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु समय करीब 08.00 ए0एम0 पर ए0सी0बी0 कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। परिवादी द्वारा बताये गये उक्त तथ्यों के अनुसार दिनांक 26.10.2023 को सचिव नगर विकास न्यास, अलवर को गोपनीय कार्यवाही हेतु दो राजकीय कर्मचारी स्वतन्त्र गवाह उपलब्ध करवाने हेतु पत्र जारी कर भिजवाया गया तथा साथ ही जरिये दूरभाष भी अवगत करवाया गया। जिस पर नगर विकास न्यास अलवर से तलबशुदा गवाह श्री मनोहर लाल मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता एवं श्री दिपांशु शर्मा, कनिष्ठ सहायक, नगर विकास न्यास, अलवर, ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित आये। उक्त दोनों गवाहान से श्री प्रेम चन्द, पुलिस निरीक्षक द्वारा आपसी परिचय किया जाकर उक्त दोनों गवाहान को दिनांक 27.10.2023 को प्रातः 08.00 ए0एम0 पर ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत देकर रवाना किया गया। दिनांक 27.10.2023 को समय 08.00 ए0एम0 पर पूर्व से पाबन्दशुदा गवाह श्री मनोहर लाल मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता एवं श्री दिपांशु शर्मा, कनिष्ठ सहायक, नगर विकास न्यास, अलवर, ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित आये। उक्त दोनों गवाहान को कार्यालय में बैठाया गया तथा समय

08.15 ए0एम0 पर परिवादी श्री सावंत सिंह मय अपने साथी श्री कृष्ण लाल के श्री प्रेम चन्द, पुलिस निरीक्षक के समक्ष ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित आया और परिवादी श्री सावंत सिंह ने बताया कि उसके पास संदिग्ध आरोपीगण को उनकी माँग के अनुरूप दी जाने वाली रिश्वत राशी 3 लाख रू0 की व्यवस्था न होकर केवल 1,95,000 रू0 रिश्वत राशी की ही व्यवस्था हो पाई है, जो वह 1,95,000 रू0 रिश्वत राशी अपने साथ लेकर आना तथा शेष रिश्वत राशी के लिए संदिग्ध आरोपीगण से बाद मे देने के लिये कहेगा। परिवादीगण को कार्यालय कक्ष में ही बैठाया गया। इसके बाद दिनांक 27.10.2023 को समय 08.30 ए0एम0 पर पूर्व से कार्यालय में मौजूद दोनों गवाहान श्री मनोहर लाल मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता एवं श्री दिपांशु शर्मा, कनिष्ठ सहायक, नगर विकास न्यास, अलवर को कार्यालय कक्ष में तलब कर परिवादी श्री सावंत सिंह एवं परिवादी के साथी श्री कृष्ण लाल का आपसी परिचय दोनों गवाहान से करवाया गया तथा उक्त दोनों गवाहान को परिवादी श्री सावंत सिंह द्वारा दिनांक 25.10.2023 को ब्यूरों में प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पढवाया जाकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई, जिस पर उक्त दोनों गवाहान ने सुन समझकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की अपनी अपनी सहमति प्रदान की तथा परिवादी श्री सावंत सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दोनों गवाहान ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात समय 09.00 ए0एम0 पर गवाह श्री मनोहर लाल मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता, श्री दिपांशु शर्मा, कनिष्ठ सहायक एवं परिवादी श्री सावंत सिंह एवं परिवादी के साथी श्री कृष्ण लाल की उपस्थिति में परिवादी श्री सावंत सिंह, परिवादी के साथी श्री कृष्ण लाल एवं संदिग्ध आरोपी श्री देवी प्रसाद शर्मा, तकनिशियन-द्वितीय(प्रभारी विस्थापन शाखा), वन विभाग, सरिस्का, अलवर के मध्य दिनांक 25.10.2023 को रिश्वत माँग सत्यापन के समय हुई रूबरू वार्ताओं एवं दिनांक 25.10.2023 को समय 05.40 पी0एम0 पर संदिग्ध आरोपी श्री रतन सिंह के मोबाईल नं0 9079749046 से परिवादी श्री सावंत सिंह के मोबाईल नं0 8432559418 पर संदिग्ध आरोपी श्री रतन सिंह एवं परिवादी सावंत सिंह के मध्य हुई मोबाईल वार्ताओं के रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर को कार्यालय की आलमारी के लॉक से बाहर निकालकर, उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर को विभागीय लैपटॉप में जोडकर चालूकर उक्त में रिकार्डशुदा उक्त वार्ताओं की ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। उपरोक्त वार्ताओं में दोनों स्वतन्त्र गवाहान की मौजूदगी में परिवादी श्री सावंत सिंह एवं परिवादी के साथी श्री कृष्ण लाल ने अपनी-अपनी स्वयं की आवाज की एवं संदिग्ध आरोपी श्री देवी सहाय बाबू, वन विभाग, सरिस्का, अलवर की आवाज की तथा संदिग्ध आरोपी श्री रतन सिंह, उप सरपंच, ग्राम पंचायत, कल्याणपुरा(अध्यक्ष विस्थापन समिति, ग्राम नाथूसर) की आवाज की पहचान की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की परिवादीगण के बतायेनुसार हिन्दी रूपान्तरण किया गया तथा उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की संबंधित वॉईस क्लिपों से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनो गवाहान तथा परिवादीगण ने सही होना स्वीकार किया। वार्ता की सीडी बनवाने हेतु तीन खाली सीडी मंगवायी जाकर तीनों को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्डशुदा उक्त वार्ताओं की लैपटॉप की सहायता से बारी-बारी से तीन सीडी तैयार की जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर क्रमषः तीनों सीडीयों पर मार्क "ए-1", मार्क "ए-2" एवं मार्क "ए-3" अंकित कर दोनों गवाहान तथा परिवादी श्री सावंत सिंह एवं परिवादी के साथी श्री कृष्णलाल के हस्ताक्षर करवाकर सीडी मार्क "ए-1" व मार्क "ए-2" को पृथक-पृथक प्लास्टिक के सीडी कवर में सुरक्षित रखकर दोनों को सफेद कपडे़ की थैलीयों में पृथक-पृथक सील मुहर किया जाकर कपड़े की थैलीयों पर भी मार्क "ए-1" व मार्क "ए-2" अंकित कर गवाहान एवं परिवादीगण के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ए0सी0बी0 लिया गया तथा मार्क "ए-3" को अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। उक्त प्रक्रिया से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के एस.डी. मैमोरी कार्ड SanDisk 32 GB में रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं की जो सीडी बनाई गई है उनमें किसी भी प्रकार की छेडछाड एवं कांट-छाट नही की गई है। उक्त वार्ताओं के रिकार्डशुदा एस.डी. मैमोरी कार्ड SanDisk 32 GB को उक्त कार्यवाही के दौरान उपयोग हेतु डिजिटल वाईस रिकार्डर में ही लगाकर सुरक्षित रखा गया। जिसकी पृथक से फर्द ट्रांसक्रिप्ट एवं जब्ती सीडी रिश्वत माँग सत्यापन वार्ता, दिनांक 27.10.2023 तैयार कर शामिल पत्रावली की गई तथा सील्डषुदा सीडी मार्क ए-1 व ए-2 को मालखाना प्रभारी को सुपुर्द कर जमा चौकी मालखाना करवाया गया। तत्पश्चात समय 12.00 पी0एम0 पर परिवादी श्री सावंत सिंह एवं परिवादी के साथी श्री कृष्णलाल ने श्री प्रेम चन्द, पुलिस निरीक्षक को बताया कि साहब हमने श्री रतन सिंह, उप सरपंच की जानकारी की तो पता चला है कि वह दिनांक 26.10.2023 को शाम को 7-8 बजे तिजारा से अपने गॉव नाथूसर पहुंचा है तथा गॉव में मोबाईल काम नही करते है, इसलिए वह फोन नही कर पाया तथा वह गॉव से रामपुर, बानसूर की तरफ या कुशालगढ, सरिस्का की तरफ आयेगा तब ही फोन कर पायेगा और मुझे, वह अपने मिलने का निश्चित स्थान बतायेगा। बिना उसके फोन किये, उसके मिलने का कोई निश्चित स्थान नही है। परिवादी द्वारा बताये गये उक्त तथ्यों के अनुसार श्री प्रेम चन्द, पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री सावंत सिंह के मोबाईल नं0 8432559418 से संदिग्ध आरोपी श्री रतन सिंह, उप सरपंच के मोबाईल नं0 9079749046 पर परिवादी से कॉल करवाया गया तो संदिग्ध आरोपी श्री रतन सिंह, उप सरपंच का मोबाईल नोट रीचेबल/स्विच ऑफ होना पाया गया। अतः श्री प्रेम चन्द, पुलिस निरीक्षक परिवादी के पास संदिग्ध आरोपी श्री रतन सिंह उप सरपंच का फोन आने का मय टीम के कार्यालय में ही उपस्थित रहकर इन्तजार करने लगा। तत्पश्चात समय 05.15 पी0एम0 पर परिवादी से संदिग्ध आरोपी श्री रतन सिंह उप सरपंच को पुनः कॉल करवाया गया तो संदिग्ध आरोपी का उक्त मोबाईल नोट रीचेबल/स्विच ऑफ ही पाया। इस पर परिवादी को हिदायत की गई की जब भी

उसके, पास संदिग्ध आरोपी का फोन आये तो उससे वार्ता नही करे और अविलम्ब श्री प्रेम चन्द, पुलिस निरीक्षक को अवगत करावे तथा संदिग्ध आरोपीगण को दी जाने वाली रिश्वत अपने साथ लेकर दिनांक 28.10.2023 को समय 09.00 ए0एम0 पर ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित होने एवं गोपनीयता की हिदायत देकर परिवादी श्री सावंत सिंह व परिवादी के साथी श्री कृष्ण लाल को समय 05.30 पी0एम0 पर ब्यूरों कार्यालय से रवाना किया गया तथा साथ ही दोनो गवाहान को दिनांक 28.10.2023 को प्रातः 09.00 ए0एम0 पर ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित होने एवं गोपनीयता की हिदायत देकर ब्यूरों कार्यालय से रवाना किया गया। दिनांक 28.10.2023 को समय 09.00 ए0एम0 पर पाबन्दषुदा गवाह श्री मनोहर लाल मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता एवं श्री दिपांशु शर्मा, कनिष्ठ सहायक, नगर विकास न्यास, अलवर, ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित आये। उक्त दोनों गवाहान को कार्यालय में बैठाया गया तथा समय 09.10 ए0एम0 पर परिवादी श्री सावंत सिंह श्री प्रेम चन्द, पुलिस निरीक्षक के समक्ष ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित आया और परिवादी श्री सावंत सिंह ने बताया कि वह आरोपीगण को रिश्वत में दी जाने वाली राशी 1,95,000 रू0 अपने साथ लेकर आया तथा शेष रिश्वत राशी के लिए संदिग्ध आरोपीगण से बाद मे देने के लिये कहेगा। परिवादी श्री सावंत सिंह ने यह भी बताया कि संदिग्ध आरोपी श्री रतन सिंह, उप सरपंच, ग्राम पंचायत कल्याणपुरा ने आज रिश्वत की राशी ततारपुर चौराहा पर लेने एवं देवी प्रसाद शर्मा, तकनिशियन-द्वितीय(प्रभारी विस्थापन शाखा), वन विभाग सरिस्का, अलवर को भी ततारपुर चौराहे पर ही बुलाने के लिये परिवादी के साथी श्री कृष्णलाल को कहा है, उक्त तथ्य परिवादी के साथी श्री कृष्ण लाल ने परिवादी सावंत सिंह को बताये है तथा परिवादी का साथी श्री कृष्ण लाल भी ततारपुर चौराहे पर ही मिलेगा। परिवादी सावंत सिंह को कार्यालय कक्ष में ही बैठाया गया। तत्पश्चात समय 09.15 ए0एम0 पर गवाह श्री दिपांषु शर्मा, कनिष्ठ सहायक एवं श्री मनोहर लाल मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता के समक्ष श्री प्रेम चन्द, पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री सावंत सिंह से आरोपीगण को बतौर रिश्वत मे दी जाने वाली राशी पेश करने हेतु कहा गया तो परिवादी ने अपने पास से 500-500 रूपये के 390 नोट कुल 1,95,000 रूपये निकाल कर श्री प्रेम चन्द, पुलिस निरीक्षक को पेश किये और बताया कि मेरे पास आरोपीगण को रिश्वत में दी जाने वाली राशी 1,95,000 रू0 की ही व्यवस्था हुई है तथा शेष रिश्वत राशी मैं बाद में देने के लिये आरोपीगण से कह दूंगा। इसलिए वे मेरे से 1,95,000 रू0 रिश्वत ले लेगें। इस पर परिवादी द्वारा पेश किये गये रिश्वत राशी के 1,95,000 रूपये के नोटों के नम्बरों का विवरण फर्द सुपुर्दगी नोट में अंकित करवाया जाकर उक्त नोटों के नम्बर श्री प्रेम चन्द, पुलिस निरीक्षक एवं उपरोक्त गवाहान के द्वारा पुनः चैक किये गये तो नोटां के नम्बरों का मिलान सही होना पाया गया। श्री रामसिंह कानि0 549 से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी निकलवायी गयी तथा कार्यालय की एक टेबल पर एक साफ अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त 1,95,000/-रूपये के नोटो को रखकर उक्त नोटों पर श्री रामसिंह कानि0 549 से फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया गया तथा उक्त नोटों की चार अलग-अलग गड्डी(100-100 नोटों की तीन व 90 नोटों की एक कुल चार गिड्डी) बनवाई गई। परिवादी श्री सावंत सिंह की जामा तलाशी गवाह श्री मनोहर लाल मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता से लिवायी गयी तो परिवादी के पास कोई भी दस्तावेज/ राशि/वस्तु नही रहने दी गयी। केवल उसका मोबाईल ही रहने दिया गया। उक्त फिनोफ्थलीन पाऊडर युक्त सभी नम्बरी नोट 1,95,000/- रूपये को श्री रामसिंह कानि0 549 से परिवादी श्री सावत सिंह की पहनी हुई जीन्स पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब में एक लाख रू0 व बायी जेब में 95 हजार रू0 रखवाये गये। श्री रामसिंह कानि0 549 से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी कार्यालय की आलमारी में वापस रखवायी गयी तथा जिस अखबार पर नोटों को रख कर फिनोफ्थलीन पॉउडर लगाया गया था, उस अखबार को जलवाया गया। उसके पश्चात एक डिस्पोजल गिलास में श्री भौरे लाल हैड कानि0 33 से साफ पानी मंगवाया जाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया जाकर उक्त घोल में श्री रामसिंह कानि0 549 की फिनोफ्थलीन युक्त हाथ की अगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिस पर परिवादी श्री सावंत सिंह व दोनों गवाहान को समझाया गया कि यदि आरोपीगण उक्त पाऊडर लगे नोटां को छुयेगा तो उसके हाथां में फिनोफ्थलीन पाऊडर लग जावेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा जिससे यह साबित होगा कि उसने रिश्वती राशि को अपने हाथां से प्राप्त किया है। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया गया तथा डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री सावंत सिंह को हिदायत दी गयी कि वह रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर हाथ फेर कर या श्री प्रेम चन्द, पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल/कॉल कर ट्रेप पार्टी को गोपनीय ईशारा करें, इसके पश्चात गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के साथ या आस-पास रहकर परिवादी व आरोपीगण के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन-देन को देखने का प्रयास करें। तत्पश्चात श्री रामसिंह कानि0 549 के दोनों हाथों को साबुन एवं साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद परिवादी, गवाहान एवं टै्रप पार्टी के सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये, मैनें भी अपने हाथ साफ पानी व साबुन से धोये तथा टै्रपबाक्स में रखी खाली शीशीयां मय ढक्कन, चम्मच आदि को साबुन व साफ पानी से धुलवाया गया। वक्त लेन-देन के समय आरोपित से होने वाली वार्ता को टेप करने हेतु विभागीय डिजिटल वाईस टेप रिकॉर्डर चालू व बंद करने की विधि समझाकर परिवादी श्री सावंत सिंह की पहनी हुई शर्ट की सामने की बांयी साईड की जेब में रखवाया गया। जिसकी पृथक से फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थैलीन पॉउडर एवं सोडियम कार्बोनेट दिनांक

28.10.2023 तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 10.20 ए0एम0 पर परिवादी श्री सावंत सिंह ने दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष श्री प्रेम चन्द, पुलिस निरीक्षक को बताया कि उसके मोबाईल फोन पर आरोपी श्री रतन सिंह, उप सरपंच के मोबाईल नं0 9079749046 से कॉल आ रही है, इस पर श्री प्रेम चन्द, पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को कॉल उठाने से पूर्व परिवादी के पास मौजूद ब्यूरों के विभागीय डिजिटल वाईस को चालू करवाकर परिवादी सावंत सिंह से आरोपी श्री रतन सिंह, उप सरपंच का कॉल उठवाकर परिवादी के मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन करवाकर वार्ता करवाई गई, तो आरोपी श्री रतन सिंह, उप सरपंच, ने स्वयं को ततारपुर चौराहे पर होना तथा उसके साथ परिवादी का साथी श्री कृष्ण लाल भी ततारपुर चौराहे पर ही होना तथा परिवादी श्री सावंत सिंह को ततारपुर चौराहे पर आने के लिये कहा गया। उक्त मोबाईल वार्ता को दोनों गवाहान के समक्ष उक्तानुसार ब्यूरों के विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर में परिवादी श्री सावंत सिंह से रिकार्ड करवाई गई। तत्पश्चात दिनांक 28.10.2023 को समय 10.25 ए0एम0 पर श्री प्रेम चन्द, पुलिस निरीक्षक प्रेमचन्द, मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री दिपांषु शर्मा, श्री मनोहर लाल मीणा एवं ए0सी0बी0 स्टाफ सदस्य श्री सुण्डाराम हैड कानि0 75, श्री महेश कुमार कानि0 462 मय परिवादी श्री सावंत सिंह मय ट्रैप बॉक्स मय लैपटॉप व प्रिन्टर साथ लेकर मय सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक के एवं ए0सी0बी0 स्टाफ सदस्य श्री भौरे लाल हैड कानि0 33, श्री हरीश चन्द कानि0 503 को एक प्राईवेट वाहन के तथा श्री नरेन्द्र कुमार हैड कानि0 50, भास्कर हैड कानि0 59, श्री राजवीर कानि0, श्री रामजीत कानि0 को एक अन्य दुसरे प्राईवेट के हमराह लेकर एसीबी कार्यालय अलवर से वास्ते करने ट्रैप कार्यवाही बजानिब ततारपुर चौराह, के लिये रवाना हुआ तथा श्री रामसिंह कानि0 549 को कार्यालय में ही छोडा गया। समय 10.30 ए0एम0 पर बहरोड रोड अलवर पर श्री प्रेम चन्द, पुलिस निरीक्षक को परिवादी श्री सावंत सिंह के साथी श्री कृष्णलाल ने वॉटसअप कॉल कर बताया कि “आज मुझे आरोपी श्री रतन सिंह, उप सरपंच, मिला और उसने कहा कि सावंत सिंह, पैसे लेकर ततारपुर आ रहा है तथा आरोपी श्री देवी प्रसाद शर्मा, तकनिशियन-द्वितीय(प्रभारी विस्थापन शाखा), वन विभाग सरिस्का भी आज ततारपुर आने के लिए कह रहा था पर उसको घर पर थानागाजी कोई काम होने से वह आज ततारपुर नही आयेगा। आरोपी श्री रतन सिंह, सावंत सिंह के पैसे लेकर आने के इन्तजार में ततारपुर ही है और वह अलवर जाने के लिये कह रहा है।“ परिवादी सावंत सिंह के साथी श्री कृष्ण लाल द्वारा बताये गये उक्त तथ्यों के अनुसार आरोपी श्री देवी प्रसाद शर्मा, तकनिशियन-द्वितीय(प्रभारी विस्थापन शाखा), वन विभाग सरिस्का, अलवर आज अपने गॉव थानागाजी ही है और वह ततारपुर नही आ रहा है। इस पर श्री प्रेम चन्द, पुलिस निरीक्षक ने उक्त आरोपी श्री देवी प्रसाद शर्मा, तकनिशियन-द्वितीय (प्रभारी विस्थापन शाखा), की निगरानी हेतु हमराही ट्रेपपार्टी सदस्यों में से श्री नरेन्द्र कुमार, हैड कानि0 50, श्री भास्कर हैड कानि0 59, श्री रामजीत कानि0 एवं श्री राजवीर कानि0 को मय प्राईवेट वाहन के बाद हिदायत अलवर से बजानिब थानागाजी के लिये रवाना किया गया तथा श्री प्रेम चन्द, पुलिस निरीक्षक मय हमराही ट्रेपपार्टी सदस्यों, परिवादी, स्वतन्त्र गवाहान के ततारपुर चौराहा के लिये रवाना होकर समय 12.05 पी0एम0 पर श्री प्रेम चन्द, पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता व स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा ततारपुर चौराहे पर अलवर रोड पर स्थित पैट्रोल पम्प के पास पहुंचा, जहां पर दोनों वाहनों को साईड में रूकवाकर खडा करवाया तथा परिवादी श्री सावंत सिंह से आरोपी श्री रतन सिंह, उप सरपंच के ततारपुर चौराहे पर मिलने के स्थान की जानकारी हेतु फोन करवाया गया तो आरोपी श्री रतन सिंह, उप सरपंच, ने परिवादी का फोन रिसीव नही किया। इस पर श्री प्रेम चन्द, पुलिस निरीक्षक मय ट्रेप पार्टी सदस्यों मय स्वतन्त्र गवाहान एवं परिवादी के मौके अनुसार अपनी पहचान छुपाते हुये आरोपी श्री रतन सिंह उप सरपंच का परिवादी के पास फोन आने के इन्तजार में मुकीम रहा। समय 12.30 पी0एम0 पर परिवादी श्री सावंत सिंह ने दोनों गवाहान के समक्ष श्री प्रेम चन्द, पुलिस निरीक्षक को बताया कि अभी-अभी समय करीब 12.28 पी0एम0 मेरे फोन पर आरोपी श्री रतन सिंह उप सरपंच का फोन आया और उसने मेरे से कहा कि मैं जरूरी काम से अलवर जा रहा हूँ और मैं अभी जल्दी होने के कारण आप से नही मिल सकता आप अलवर आ जाना मैं आपको फोन कर लूंगा और अलवर में राठनगर या आर0टी0ओ0 ऑफिस के आस-पास मैं आपसे मिलूंगा। तत्पश्चात श्री प्रेम चन्द, पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री सावंत सिंह से आरोपी श्री रतन सिंह, उप सरपंच को मोबाईल पर कई बार कॉल करवाया गया किन्तु आरोपी श्री रतन सिंह, उप सरपंच ने परिवादी का फोन रिसीव नही किया। इसी दौरान परिवादी सावंत सिंह के साथी श्री कृष्णलाल ने श्री प्रेम चन्द, पुलिस निरीक्षक जरिये वॉटसअप कॉल अवगत करवाया कि आरोपी श्री रतन सिंह उप सरपंच किसी जरूरी काम से ततारपुर चौराहे से अलवर चला गया है तथा मैं भी अब अलवर जा रहा हॅू। उक्त तथ्यों से श्री प्रेम चन्द, पुलिस निरीक्षक ने श्री नरेन्द्र कुमार हैड कानि0 50 को अवगत करवाकर अग्रिम आदेश तक आरोपी श्री देवी प्रसाद शर्मा, तकनिशियन-द्वितीय(प्रभारी विस्थापन शाखा), वन विभाग, सरिस्का, अलवर की निगरानी हेतु ईलाका थानागाजी में ही मौजूद रहने हेतु निर्देषित कर श्री प्रेम चन्द, पुलिस निरीक्षक मय हमराही ए0सी0बी0 स्टाफ मय स्वयतन्त्र गवाहान एवं परिवादी मय वाहनों के समय 12.50 पी0एम0 पर मौका ततारपुर चौराहा से रवाना होकर समय 01.50 पी0एम0 पर बहरोड रोड अलवर स्थित हसन खॉ बाईपास टी पॉईन्ट के पास पहुंचकर दोनों वाहनों को साईड में खडा करवाकर मौके अनुसार ट्रेप पार्टी की पहचान छुपाते हुये परिवादी के पास आरोपी श्री रतन सिंह उप सरपंच का फोन आने के इन्तजार में मुकीम हुआ। इसके बाद समय 05.00 पी0एम0 पर श्री प्रेम चन्द, पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्री रतन सिंह, उप सरपंच का परिवादी के पास अभी तक फोन नही

आने पर दोनों गवाहान के समक्ष परिवादी श्री सावंत सिंह के मोबाईल से आरोपी श्री रतन सिंह उप सरपंच के मोबाईल फोन पर तीन-चार बार कॉल करवाई गई, तो आरोपी श्री रतन सिंह, उप सरपंच, परिवादी का फोन रिसीव नही किया। तत्पश्चात परिवादी श्री सावंत सिंह ने श्री प्रेम चन्द, पुलिस निरीक्षक को बताया कि उसकी पत्नि बीमार रहती है तथा उसको आज शाम को मुझे एक महाराज के थान (देवरा/स्थान) पर लेकर जाना बहुत जरूरी है। इसलिए मुझे अभी घर जाना है तथा अब मेरे पास आरोपी श्री रतन सिंह उप सरपंच का फोन आयेगा तो मैं आज उससे नही मिलूंगा और दिनांक 30.10.2023 को सोमवार को मिलने की कह दूँगा। सोमवार को आरोपी श्री देवी प्रसाद शर्मा, तकनिशियन-द्वितीय(प्रभारी विस्थापन शाखा), भी अपने कार्यालय में सरिस्का डयूटी पर आयेगा और मैं आरोपी श्री रतन सिंह उप सरपंच को भी सोमवार को सरिस्का ही बुला लूँगा तथा अब मुझे घर जाना बहुत जरूरी है। परिवादी द्वारा बताये गये उक्त तथ्यों/परिवादी की परस्थितियों को मध्यनजर रखते हुये श्री प्रेम चन्द, पुलिस निरीक्षक ने अग्रिम ट्रेप कार्यवाही दिनांक 30.10.2023 सोमवार को सम्पन्न करना सुनिश्चित किया। तत्पश्चात श्री प्रेम चन्द, पुलिस निरीक्षक मय ए0सी0बी0 स्टाफ सदस्य श्री भौरे लाल हैड कानि0 33, श्री सुण्डाराम हैड कानि0 75, श्री हरीष चन्द शर्मा कानि0 503, श्री महेश कुमार कानि0 462, दोनों स्वतन्त्र गवाहान एवं परिवादी मय दोनों हमराही वाहनों मय चालक श्री इन्द्रजीत नं0 33 के मौका हसन खॉ बाईपास टी पाईन्ट, अलवर से ब्यूरों कार्यालय के लिये रवाना हुआ तथा साथ ही श्री नरेन्द्र कुमार हैड कानि0 50 को भी मय स्टाफ के ब्यूरों कार्यालय आने हेतु निर्देषित किया गया। समय 05.15 पी0एम0 पर श्री प्रेम चन्द, पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के फिकरा उपरोक्त का रवाना शुदा वापस एसीबी चौकी, अलवर प्रथम, अलवर आया। दोनों गवाहान के समक्ष परिवादी श्री सावत सिंह की पहनी हुई जीन्स पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब में से एक लाख रू0 व बायी जेब में से 95 हजार रू0 कुल 1,95,000 रूपये को श्री रामसिंह कानि0 549 से निकलवाकर उक्त राशी को एक सफेद कागज के लिफाफे में रखवाकर, कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखवाई जाकर आलमारी को लॉक किया गया। परिवादी से ब्यूरों का पूर्व से सुपुर्दशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर उसे चालू कर सुना गया तो उसमें परिवादी एवं आरोपी सरपंच की रिश्वत लेन-देन के क्रम में मोबाईल पर वार्ता होना पाई गई। उक्त वार्ता की ट्रांस्क्रिप्ट तैयार करने की आवष्यकता नही होने से उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्डशुदा वार्ताओं के मूल एसडी मैमोरी कार्ड को निकालकर उक्त एसडी कार्ड को कार्यालय की आलमारी के लॉक में सुरक्षित रखा गया । ट्रैप बॉक्स व लैपटॉप प्रिन्टर को कार्यालय में रखवाया गया तथा दोनों गवाहान एवं परिवादी को गोपनीयता की एवं अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु दिनांक 30.10.2023 को समय 09.00 ए0एम0 पर ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत देकर ब्यूरों कार्यालय से रवाना किया गया तथा समय 06.30 पी0एम0 पर ट्रेपपार्टी सदस्य श्री नरेन्द्र कुमार हैड कानि0 50 मय हमराही स्टाफ श्री भास्कर यादव हैड कानि0, श्री रामजीत कानि0 एवं श्री राजवीर कानि0 मय हमराही वाहन के ईलाका थानागाजी से ब्यूरों कार्यालय अलवर हाजिर आये तथा श्री प्रेम चन्द, पुलिस निरीक्षक द्वारा समस्त कार्यवाही के हालात ब्यूरो के उच्चाधिकारियों को अवगत करवाये जाकर मुनासिब रहबरी प्राप्त की गई। दिनांक 31.01.2024 को समय 11.50 ए0एम0 पर परिवादी श्री सावंत सिंह, ए0सी0बी0 कार्यालय अलवर प्रथम, अलवर में उपस्थित आया। परिवादी श्री सावंत सिंह ने श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र0नि0ब्यूरो, अलवर को सम्बोधित लिखित प्रार्थना पत्र ट्रेप मनी वापस लौटाने एवं आरोपीजनों के विरूद्ध आवष्यक कानूनी कार्यवाही करने के विषय का श्री पीयूष दीक्षित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर प्रथम अलवर को प्रस्तुत किया, जिस पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अग्रिम कार्यवाही हेतु आदेश पृष्ठांकित कर प्रार्थना पत्र मय परिवादी के श्री प्रेम चन्द, पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया। परिवादी ने उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद कर बताया कि ‘‘मैंने दिनांक 25.10.2023 को वन विभाग सरिस्का के रिश्वतखोर तकनिशियन-द्वितीय, श्री देवी प्रसाद शर्मा व उप सरपंच ग्राम पंचायत नाथूसर श्री रतन सिंह के खिलाफ ट्रेप कार्यवाही कराने हेतु ए0सी0बी0 में लिखित प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर आप द्वारा कार्यवाही की जाकर आरोपीगण श्री देवी प्रसाद शर्मा, तकनिशियन-द्वितीय(प्रभारी विस्थापन शाखा), वन विभाग सरिस्का एवं श्री रतन सिंह, उप सरपंच ग्राम पंचायत कल्याणपुरा से रिश्वत माँग का सत्यापन करवाया था तथा मैंने उक्त आरोपियों को मेरे से रिश्वत लेते हुए पकडवाने के लिये रिश्वत राशी 1,95,000 रू0 दिनांक 28.10.2023 को आपके कार्यालय में पेश किये थे। अब मेरे द्वारा करवाही जा रही ट्रेप कार्यवाही का आरोपीगणों को शक हो गया है। इसलिए अब वो मेरे से रिश्वत लेने हेतु कोई बात नही कर रहे है और ना ही अब मेरे से रिश्वत लेंगे, क्योंकि मुझे मेरे जानकार लोगों ने कहा कि रतन सिंह उप सरपंच ए0सी0बी0 में उनके खिलाफ कोई कार्यवाही होने की कह रहे थे। इसलिए शायद उसको मेरे द्वारा उसके खिलाफ करवाई जा रही ट्रेप कार्यवाही की भनक लग गई है। मैंने ट्रेप कार्यवाही के लिये जो 1,95,000 रू0 दिनांक 28.10.2023 को आपके कार्यालय में पेश किये थे, उन रूपये की मुझे घरेलू कार्य में आवष्यकता है। मैं एक गरीब व्यक्ति हॅू तथा मुझे इन रूपयों की सख्त जरूरत है। मैं आगे की कार्यवाही का ओर इन्तजार नही कर सकता तथा परिवादी श्री सावंत सिंह ने दिनांक 28.10.2023 को ए0सी0बी0 में पेश की गई 1,95,000 रू0 की राशी वापस लौटाने बाबत एवं अब तक करवाई गई कार्यवाही के आधार पर ही भ्रष्ट आरोपियों श्री देवी प्रसाद शर्मा, तकनिशियन-द्वितीय(प्रभारी विस्थापन शाखा), वन विभाग सरिस्का एवं श्री रतन सिंह, उप सरपंच ग्राम पंचायत कल्याणपुरा (अध्यक्ष विस्थापन समिति ग्राम नाथूसर) के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही करने हेतु निवेदन किया।‘‘ परिवादी ने पूछने पर यह भी बताया कि उसकी पत्नि बत्तो देवी के देवताओं की अडचन हो रही है, जिससे

वह अक्सर बीमार रहती है और वह, उसको ईलाज हेतु देवताओं के स्थानों(देवरा) पर ले जाने में व्यस्त रहा इसलिए उसके आने में विलम्ब हो गया और वह ए0सी0बी0 कार्यालय आज उपस्थित हुआ है। प्रार्थना पत्र संलग्न पत्रावली किया गया तथा परिवादी को कार्यालय कक्ष में बैठाया गया। इसके बाद उसी दिन पूर्व से पाबन्द शुदा गवाह श्री मनोहर लाल मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता एवं श्री दिपांशु शर्मा, कनिष्ठ सहायक, नगर विकास न्यास, अलवर को ए0सी0बी0 कार्यालय में अविलम्ब उपस्थित होने हेतु सूचित किया गया। समय 12.30 पी0एम0 पर तलबशुदा गवाह श्री मनोहर लाल मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता एवं श्री दिपांशु शर्मा, कनिष्ठ सहायक, नगर विकास न्यास, अलवर, ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित आये। तत्पश्चात दिनांक 31.01.2024 को समय 12.45 पी0एम0 पर श्री प्रेम चन्द, पुलिस निरीक्षक ने गवाह श्री मनोहर लाल मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता एवं श्री दिपांशु शर्मा, कनिष्ठ सहायक एवं परिवादी श्री सावंत सिंह की उपस्थिति में दिनांक 25.10.2023 को रिश्वत माँग सत्यापन के समय की रिकार्डशुदा वार्ताओं एवं दिनांक 28.10.2023 को रिश्वत लेन-देन के क्रम में हुई रिकार्डशुदा वार्ताओं के रिकार्डषुडा मूल एस.डी. मैमोरी कार्ड SanDisk 32 GB को कार्यालय की आलमारी के लॉक से बाहर निकालकर उक्त एस.डी. मैमोरी कार्ड SanDisk 32 GB को डिजिटल वाईस रिकार्डर में लगाकर डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालूकर उक्त एस.डी. मैमोरी कार्ड SanDisk 32 GB में दिनांक 25.10.2023 को रिश्वत माँग सत्यापन के समय की वार्ता एवं दिनांक 28.10.2023 को रिश्वत लेन-देन के क्रम में हुई मोबाईल वार्ता रिकार्ड होना सुनिश्चित कर उक्त कार्यवाही मे उपयोग लिये गये, उक्त डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मे लगे उक्त मूल एस.डी. मैमोरी कार्ड SanDisk 32 GB को सुरक्षित हालात मे यथावत उक्त वॉइस रिकार्डर से निकाल कर उसे एक सफेद कागज की चिट जिस पर सभी संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर उसे, एस.डी. मैमोरी कार्ड SanDisk 32 GB के साथ एक खाली माचिस की डिब्बी मे सुरक्षित रखा गया एवं उक्त माचिस की डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे सुरक्षित हालात मे रखकर थैली को सील्डचिट कर उस पर मार्क ै अंकित कर वजह सबूत कब्जे ए0सी0बी0 लिया गया। जिसकी पृथक से फर्द जब्ती मूल एस.डी. मैमोरी कार्ड SanDisk 32 GB दिनांक 31.01.2024 तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 02.00 पी0एम0 पर श्री प्रेम चन्द, पुलिस निरीक्षक ने गवाह श्री मनोहर लाल मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता एवं श्री दिपांशु शर्मा, कनिष्ठ सहायक को परिवादी श्री सावंत सिंह द्वारा आज दिनांक 31.01.2024 को ब्यूरों में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढवाया गया तथा प्रार्थना पत्र को पढकर परिवादी को भी सुनाया गया। परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित सभी तथ्य सही होना स्वीकार किया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं उसकी परिस्थितियों के अनुसार अग्रिम ट्रेप कार्यवाही किया जाना संभव नही है। अतः उक्त ट्रेप कार्यवाही बाबत दिनांक 28.10.2023 को परिवादी श्री सावंत सिंह द्वारा प्रस्तुत की गई राशी 1,95,000 रूपये कार्यालय की आलमारी से निकाल कर व उस पर लगे पाउडर को अच्छी तरह छुडाकर परिवादी श्री सावंत सिंह को दोनों गवाहान के समक्ष सुपुर्द की गई एवं प्रार्थना पत्र पर ही परिवादी के प्राप्ति हस्ताक्षर प्राप्त कर परिवादी श्री सावंत सिंह व दोनों गवाहान को समय 02.15 पी0एम0 पर ब्यूरों कार्यालय से जाने की इजाजत दी गई। तत्पचात समय 02.30 पी0एम0 पर श्री प्रेम चन्द, पुलिस निरीक्षक द्वारा सिल्डशुदा मूल एस.डी. मैमोरी कार्ड SanDisk 32 GB मार्क S को मालखाना प्रभारी श्री हरीष चन्द कानि0 503 को सुपुर्द कर जमा चौकी मालखाना करवाया गया। उक्तानुसार सम्पन्न की गई कार्यवाही एवं मौके के हालात से आरोपी श्री देवी प्रसाद शर्मा, तकनिशियन-द्वितीय (प्रभारी विस्थापन शाखा), कार्यालय उप वन संरक्षक, बाघ परियोजना, वन विभाग सरिस्का एवं श्री रतन सिंह, उप सरपंच ग्राम पंचायत कल्याणपुरा (अध्यक्ष विस्थापन समिति ग्राम नाथूसर) द्वारा परिवादी श्री सावंत सिंह से सरिस्का बाघ परियोजना के अन्तर्गत आने वाले परिवादी के ग्राम नाथूसर, तहसील बानसूर से वन विभाग सरिस्का बाघ परियोजना द्वारा ग्राम नाथूसर में निवासरत परिवारों को विस्थापित करने की एवज में सरकार द्वारा विस्थापित परिवारों को दिये जाने वाला मुआवजा पैकेज परिवादी श्री सावंत सिंह को दिलवाने की एवज में रिश्वत माँग सत्यापन दिनांक 25.10.2023 को आरोपी श्री देवी प्रसाद शर्मा, तकनिशियन-द्वितीय(प्रभारी विस्थापन शाखा), कार्यालय उप वन संरक्षक, बाघ परियोजना, वन विभाग सरिस्का द्वारा रिश्वत की माँग कर 3 लाख रू0 रिश्वत प्राप्त करने के लिये सहमत होना एवं 5000 हजार रू0 परिवादी सावंत सिंह व परिवादी के साथी श्रीकृष्ण लाल से रिश्वत माँग सत्यापन के दौरान प्राप्त करना तथा शेष रिश्वत राशी श्री रतन सिंह, उप सरपंच, ग्राम पंचायत कल्याणपुरा को देने के लिये परिवादी श्री सावंत सिंह एवं परिवादी के साथी श्री कृष्णलाल को कहना तथा आरोपी श्री रतन सिंह, उप सरपंच, ग्राम पंचायत कल्याणपुरा द्वारा परिवादी से रिश्वत राशी लेने के लिये श्री देवी प्रसाद शर्मा, तकनिशियन-द्वितीय (प्रभारी विस्थापन शाखा) का उसके पास फोन आने एवं परिवादी को रिश्वत राशी देने के लिये कहना एवं उक्त रिश्वत राशी प्राप्त करने के लिए सहमत होकर रिश्वत राशी प्राप्त करने के लिए प्रयासरत होने का श्री देवी प्रसाद शर्मा, तकनिशियन-द्वितीय(प्रभारी विस्थापन शाखा) कार्यालय उप वन संरक्षक, बाघ परियोजना, वन विभाग सरिस्का, जिला अलवर एवं श्री रतन सिंह, उप सरपंच ग्राम पंचायत कल्याणपुरा, पंचायत समिति बानसूर (अध्यक्ष विस्थापन समिति ग्राम नाथूसर) का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) एवं 120 बी भा0द0सं0 मे प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाता है। अतः आरोपीगण 1) श्री देवी प्रसाद शर्मा पुत्र श्री भगवान सहाय शर्मा, जाति ब्राहम्ण, उम्र 54 साल, निवासी थानागाजी, तहसील व थाना थानागाजी, जिला अलवर, हाल तकनिशियन-द्वितीय (प्रभारी विस्थापन शाखा), कार्यालय उप वन संरक्षक बाघ परियोजना, वन विभाग सरिस्का, जिला अलवर एवं 2) श्री रतन

सिंह पुत्र श्री राम लाल गुर्जर, जाति गुर्जर, उम्र 42 साल, निवासी ग्राम नाथूसर, पोस्ट रामपुर, तहसील व थाना बानसूर, जिला कोटपूतली-बहरोड, हाल उप सरपंच, ग्राम पंचायत कल्याणपुरा, पंचायत समिति बानसूर, जिला कोटपूतली-बहरोड (अध्यक्ष विस्थापन समिति ग्राम नाथूसर) के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन श्रीमान की सेवामें सादर प्रेषित है। (महेन्द्र कुमार) उप अधीक्षक पुलिस, भ्र0नि0ब्यूरो, अलवर प्रथम, अलवर।......... कार्यवाही पुलिस......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री महेन्द्र कुमार, उप अधीक्षक पुलिस, भ्र0नि0ब्यूरो, अलवर प्रथम, अलवर प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) एवं 120 बी भा0द0सं0 में आरोपीगण 1. श्री देवी प्रसाद शर्मा पुत्र श्री भगवान सहाय शर्मा, निवासी थानागाजी, तहसील व थाना थानागाजी, जिला अलवर, हाल तकनिशियन-द्वितीय(प्रभारी विस्थापन शाखा), कार्यालय उप वन संरक्षक बाघ परियोजना, वन विभाग सरिस्का, जिला अलवर एवं 2. श्री रतन सिंह पुत्र श्री राम लाल गुर्जर, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम नाथूसर, पोस्ट रामपुर, तहसील व थाना बानसूर, जिला कोटपूतली-बहरोड, हाल उप सरपंच, ग्राम पंचायत कल्याणपुरा, पंचायत समिति बानसूर, जिला कोटपूतली-बहरोड(अध्यक्ष विस्थापन समिति ग्राम नाथूसर) के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री परमेश्वर लाल, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,अलवर द्वितीय हाल भिवाडी को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 348 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। क्रमांक 477-81 दिनांक 22.05.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर। 2 उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक, बाघ परियोजना, सरिस्का, अलवर। 3-मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अलवर। 4 पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 5 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर प्रथम, अलवर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** PARAMESHWAR LAL YADAV **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 22/05/2024 16:59:52

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishanaram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	04/02/1970				
2	Male	01/01/1982				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)